MATTERS RAISED WITH PERMISSION – *Contd.*

Demolition of houses of poor in Banjar lands in Uttar Pradesh

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय महोदय, मैं यह बताना उचित समझता हूं कि गरीब, मज़लूम, असहाय और निर्बल लोग उत्तर प्रदेश के ग्राम सभाओं में बंजर भूमि व डीह की भूमि पर लगभग 20, 30, 40, 50 या 100 वर्षों से अपना कच्चा य पक्का मकान या झोंपड़ी बनाकर अधिकांशत: अपने बाल-बच्चों और पशुधन सहित निवास करते हैं।

महेदय, कुछ दिनों से, यानी दो-ढाई वर्षों से देखने को मिला है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बंजर जमीन पर बसी गरीब जनता को अवैध कब्जे के नाम पर राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की झोंपडियां व कच्चे-पक्के मकान बुलडोजर लगाकर गिराये जा रहे हैं, जो मानवता के दृष्टिकोण से निन्दनीय वे बहुत ही दुखद है। मान्यवर, जबकि पहले कई फैसलों में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा गया है कि इस तरह से जमीन पर बसे हुए लोगों के कहीं न कहीं स्थापित करने के बाद उन्हें जमीन से बेदखल कराया जाता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर क्षेत्र में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि किसी गरीब का घर उजाड़ा नहीं जायेगा तथा सरकार झुग्गी-झोंपड़ी के स्थान पर गरीबों को पक्के मकान 2022 तक बना कर देगी। यह बहुत ही सराहनीय काम है।

माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बंजर भूमि में बने गरीबों के मकानों को गिराने से बचाया जाए तथा यदि अति आवश्यक हो, तो उन्हें कहीं अन्यत्र बसाकर सरकार द्वारा मकान बनाकर दिये जायें, धन्यवाद।

Need to formulate laws for dealing with the problem of loss of crops of farmers by stray animals

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान देश में किसानों की एक महती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह महती समस्या है- आवारा पशुओं की। आज सरकार की नीतियों के कारण किसान खेतों में मेहनत करता है, फसल पैदा करता है, लेकिन अचानक ही विचरण कर रहे आवारा पशु आकर उसकी फसल को चर जाते हैं और किसान को भारी नुकसान होता है।

मेरा स्वयं का अनुभव है कि यदि आप कम-से-कम 100 किलोमीटर की यात्रा करें, तो बीच मार्ग में आपको कम-से-कम दो-चार पशु या तो दुर्घटनाग्रस्त मिलेंगे अथवा मरे हुए मिलेंगे। यह परिस्थिति क्यों आयी है? इस परिस्थिति के संदर्भ में अगर विचार करें ....**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़।

श्री अजय प्रताप सिंह: इस परिस्थिति के संदर्भ में अगर विचार करें, तो पहला जो कारण मेरी समझ में आया है, वह यह है कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन दूध का उत्पादन घट रहा है। आबादी बढ़ रही है, दूध का उत्पादन घट रहा है, लेकिन दूध का प्रयोग नहीं घट रहा है। तो यह स्वाभाविक है कि यह जो दूध प्रयुक्त हो रहा है, यह नकली दूध प्रयुक्त हो रहा है, फर्टिलाइजर के द्वारा बनाया गया दूध प्रयुक्त हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए लोगों को लगता है कि गाय पालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा कारण यह हे कि हमारे छोटे किसानों ने भी मैकेनाइज्ड खेती की तरफ रुख कर लिया है। मैकेनाइज्ड खेती करने के कारण अब उनको बैलों की आवश्यकता नहीं रही है, इसलिए भी पशुओं को उन्होंने आवारा विचरण करने के लिए छोड़ दिया है। पहले हमारे किसान जैविक खादों का प्रयोग करते थे, जैविक पेस्टिसाइट का प्रयोग करते थे, लेकिन अब उसके स्थान पर फैक्टरी मेड पेस्टिसाइड्स और फैक्टरी मेड खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण भी पशुओं का मूल्य उनकी नजरों में गिर गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहत हूं कि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस प्रयत्न करे। मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसे- उनके चरने से किसानों की फसल का जो नुकसान होता है, उसको प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करें। न केवल उसे उसमें सम्मिलित करें, बल्कि इसका त्वरित निस्तारण करने की व्यवस्था करें। दुग्ध के संदर्भ में भी मेरा आग्रह है कि सरकार प्रत्येक ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियों का गठन करे, दुग्ध के संग्रहण की व्यवस्था करे और जिला स्तर पर जो दुग्ध केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में की है, उसके अनुरूप एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करे।

मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि सरकार गोबर क्रय करे अथवा गोबर से निर्मित जैविक खाद का क्रय करे, जिससे पशु का मूल्य किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। इस तरह से हम गौवंश को बचा सकते हैं, खेती को बचा सकते हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही आग्रह है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

12.00 Noon

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री सभापति: अब समय बचा नहीं है, जिनको associate करना है, वे अपना नाम भेज दें।

(MR. CHAIRMAN *in the chair.*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Pending approval of fishing harbours and fish landing centres in Maharashtra

*286. SHRI HUSAIN DALWAI: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether the administrative approval for the work of nine fishing harbours and sixteen fish landing centres in the coastal areas of Maharashtra State is pending before the Central Government;

(b) if so, the present status of the approval and by when it is likely to be cleared;

(c) whether Government of Maharashtra has requested Central Government to accord administrative approval for the work of the fishing harbour at Versova, Mumbai;